

23/3
22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण की ओर से याचना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई दिनांक 25/3/2022 के वजाय प्रकर में शीघ्र आज सुनवाई की जाय। इस पर पत्रावली को रीगट से हलब की गई। वकील वादीगण की एक पक्षी बहस को सुना गया। पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नौदीगण का वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन परीक्षणोपशान्त वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निणय सुनाया गया। निणय एवं डिक्ली पप लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फिलाल शुभाट बैक नम्बर से कम है।

उपलब्ध अधिकारी

डुंगल